65

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4
लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41
(लाइसेन्सड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ सोमवार, 4 अप्रैल, 1988
चैत्र 15, 1910 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 489/सत्रह-वि-1-1(क)-5-1988

लखनऊ, 4 अप्रैल, 1988

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1988 पर दिनांक 4 अप्रैल, 1988 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1988 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1988

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1988]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1988 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 5 फरवरी, 1988 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 5 सन् 1935 की धारा 4 का संशोधन

2--संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में, उपधारा (1) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"प्रतिबन्ध यह है कि परिवहन गाड़ी से भिन्न किसी मोटर गाड़ी का स्वामी, इस उपधारा के अधीन देय कर के बदले में, ऐसी मोटर गाड़ी के सम्बन्ध में लागू ऐसी दर पर, जैसी तृतीय अनुसूची के भाग "ख" में विनिर्दिष्ट है, एक बार देय कर को, यदि ऐसी मोटर गाड़ी, उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1988 के प्रारम्भ के पश्चात् उत्तर प्रदेश में मोटर यान अधिनियम, 1939 के उपबन्धों के अधीन प्रथम बार रजिस्ट्रीकृत की जाय, भुगतान करेगा, और किसी अन्य स्थिति में, भुगतान कर सकेगा और ऐसे एक बार देय कर का भुगतान करने पर उसके पश्चात् की किसी अवधि के लिये इस उपधारा के अधीन ऐसी गाड़ी के सम्बन्ध में किसी कर का भुगतान नहीं करना होगा"।

धारा 5 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 5 में,--

(क) उपधारा (1) में, शब्द "धारा 6, 8 और 9 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, धारा 4 के अधीन देय कर इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन टोकन लिया जा कर तथा उसका भुगतान करके मोटर गाड़ी के स्वामी द्वारा प्रत्येक वर्ष में जनवरी के पन्द्रहवें दिन को या उसके पूर्व अग्रिम रूप से देय होगा" के स्थान पर शब्द "धारा 6 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, धारा 4 के अधीन देय कर का भुगतान मोटर गाड़ी के स्वामी द्वारा अग्रिम रूप से मोटरयान अधिनियम, 1939 के अधीन उसके रजिस्ट्रीकरण के समय और तत्पश्चात् प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष में पन्द्रह जनवरी को या उसके पूर्व इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन टोकन प्राप्त करके और उसका भुगतान करके किया जायगा"; और

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्--

"(2) जहां किसी मोटर गाड़ी के सम्बन्ध में कर का भुगतान उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर न किया जाय, वहां राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई अधिकारी धारा 13 के अधीन अभियोजन के बदले में और ऐसे सामान्य निदेशों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जायें, ऐसी मोटर गाड़ी के स्वामी से प्रतिकर स्वीकार कर सकता है, जो ऐसी मोटर गाड़ी के लिये देय कर के अतिरिक्त एक बार देय कर का भुगतान किये जाने के मामले में, इस अधिनियम के अधीन देय ऐसे कर की धनराशि के आधे से अधिक न हो, और किसी अन्य मामले में उसके सम्बन्ध में एक वर्ष में देय कर की धनराशि से अधिक न हो। ऐसे प्रतिकर का भुगतान किये जाने पर, मोटर गाड़ी के स्वामी को, यदि अभिरक्षा में हो, उन्मोचित कर दिया जायगा और इस प्रकार शमन किये गये अपराध के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध कोई और कार्यवाही नहीं की जायगी।"

धारा 6 का संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 6 में, शब्द "पहली बार देय हो" के पश्चात् शब्द "और यदि एक बार देय कर का भुगतान नहीं किया गया हो" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 7 का संशोधन

5--मूल अधिनियम की वर्तमान धारा 7 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायगा, और--

(क) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) में, शब्द "कोई व्यक्ति जिसने" के पश्चात् शब्द "एक बार देय कर से भिन्न" बढ़ा दिये जायेंगे;

(ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--

"(2) जहां परिवहन गाड़ी से भिन्न ऐसी मोटर गाड़ी का, जिसके सम्बन्ध में अधिनियम के अधीन एक बार देय कर का भुगतान कर दिया गया है, स्वामी नियत रीति से कराधान अधिकारी के सन्तोषानुसार यह सिद्ध कर दे कि ऐसी मोटर गाड़ी का एक महीने से अन्यून लगातार अवधि में प्रयोग नहीं किया गया है, वहां वह उक्त अवधि के लिये तृतीय अनुसूची के भाग "ग" में विनिर्दिष्ट दरों पर ऐसे कर की वापसी का हकदार होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी वापस की जाने वाली धनराशि तब तक अनुमन्य नहीं होगी, जब तक कि स्वामी द्वारा कराधान अधिकारी के पास गाड़ी के सम्बन्ध में जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र और टोकन जमा न कर दिया जाय :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन वापस की जाने वाली कुल धनराशि अधिनियम के अधीन भुगतान किये गये एक बार देय कर से अधिक न होगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन वापस की जाने वाली धनराशि की गणना करने में, उक्त अवधि के किसी भाग को जो एक मास से कम हो, छोड़ दिया जायगा।

(4) किसी परिवहन गाड़ी से भिन्न ऐसी मोटर गाड़ी का जिसके सम्बन्ध में अधिनियम के अधीन एक बार देय कर का भुगतान कर दिया गया है, स्वामी तृतीय अनुसूची के भाग "घ" में विनिर्दिष्ट दरों पर ऐसे कर को वापस पाने का इस आधार पर हकदार होगा कि उसने ऐसे कर के भुगतान के पश्चात् ऐसी गाड़ी को स्थायी रूप से किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में लाने के फलस्वरूप ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में मोटर गाड़ियों पर कर सम्बन्धी किसी अधिनियमिति के अधीन ऐसी गाड़ी के सम्बन्ध में कर का भुगतान किया है या ऐसी मोटर गाड़ी को परिवहन गाड़ी के रूप में परिवर्तित किया गया है या ऐसी मोटर गाड़ी का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया है।

(5) जहां किसी परिवहन गाड़ी से भिन्न ऐसी मोटर गाड़ी का जिसका रजिस्ट्रीकरण उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1988 के प्रारम्भ के पूर्व मोटरयान अधिनियम, 1939 के अधीन किया गया हो, स्वामी एक बार देय कर का भुगतान करने का विकल्प करे, वहां वह, एक बार देय कर का भुगतान करते समय, किसी ऐसे अग्रिम कर के, जिसका उसने ऐसी गाड़ी के सम्बन्ध में वर्ष 1988 के किसी भाग के लिये या किसी अनुवर्ती वर्ष के लिये भुगतान किया हो, समायोजन का हकदार होगा, बशर्ते कि वह ऐसे एक बार देय कर का भुगतान उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1988 के प्रारम्भ से दो मास के भीतर कर दे।"

धारा 11 का संशोधन

6--मूल अधिनियम की वर्तमान धारा 11 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--

"(2) जहां किसी परिवहन गाड़ी से भिन्न ऐसी मोटर गाड़ी को जिसके सम्बन्ध में एक बार देय कर का भुगतान कर दिया गया है, परिवहन गाड़ी के रूप में चलाया जाय, वहां उसका स्वामी ऐसी परिवहन गाड़ी पर अधिनियम के अधीन देय कर का देनदार होगा।"

नयी अनुसूची का बढ़ाया जाना

7--मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची बढ़ा दी जायगी; अर्थात्--

"तृतीय अनुसूची

भाग "क"

गाड़ियां

परिवहन गाड़ियों से भिन्न गाड़ियों का वर्गीकरण

अनुच्छेद	गाड़ी का विवरण
एक--	भार विहीन, 500 किलोग्राम से अनधिक वजन वाली मोटर साइकिलें (जिसके अन्तर्गत स्कूटर और मोपेड भी हैं) :--
	(1) भार विहीन, 80 किलोग्राम से अनधिक वजन वाली गाड़ी;
	(2) भार विहीन, 80 किलोग्राम से अधिक वजन वाली गाड़ी;
दो--	(1) केवल व्यक्तियों और हल्का वैयक्तिक सामान ले जाने के लिये बनायी गयी और प्रयोग में लायी गयी गाड़ी जिसमें ड्राइवर को छोड़कर छः व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो।
	(2) इस अनुच्छेद के अन्तर्गत आने वाली गाड़ियों द्वारा खींचे जाने वाले ट्रेलर।
तीन--	ड्राइवर को छोड़कर छः व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिये बनायी गयी या प्रयोग के लिए अपनायी गयी 500 किलोग्राम से अधिक वजन वाली भार विहीन गाड़ियां जिसके अन्तर्गत मोटर साइकिलें भी हैं :--
	(1) (क) भार विहीन, वजन में 2000 किलोग्राम से अनधिक;
	(ख) भार विहीन, वजन में 2000 किलोग्राम से अधिक किन्तु 3000 किलोग्राम से अनधिक;
	(ग) भार विहीन, वजन में 3000 किलोग्राम से अधिक किन्तु 4000 किलोग्राम से अनधिक;
	(घ) भार विहीन, वजन में 4000 किलोग्राम से अधिक किन्तु 5000 किलोग्राम से अनधिक;
	(ङ) भार विहीन, वजन में 5000 किलोग्राम से अधिक;
	(2) इस अनुच्छेद के अन्तर्गत आने वाली गाड़ियों द्वारा खींचे जाने वाले ट्रेलर।

भाग "ख"

[धारा 4 (1) देखिये]

परिवहन गाड़ियों से भिन्न गाड़ियों पर कर की दरें

कर की दर रुपये में

क्रम-संख्या	भाग "क" के अनुच्छेद के अनुसार गाड़ियां	1-1-1988 को या उसके पश्चात् रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1987 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1986 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1985 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1984 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1983 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1982 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1981 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1980 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1979 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1978 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1977 में या उसके पूर्व रजिस्ट्रीकृत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	एक (1)	350.00	280.00	210.00	140.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
2	एक (2)	750.00	675.00	600.00	525.00	450.00	375.00	300.00	225.00	150.00	75.00	75.00	75.00
3	दो (1)	2500.00	2295.00	2090.00	1885.00	1680.00	1475.00	1270.00	1065.00	860.00	655.00	450.00	245.00
4	दो (2)	500.00	460.00	420.00	380.00	340.00	300.00	260.00	220.00	180.00	140.00	100.00	60.00
5	तीन (1) (क)	4800.00	4400.00	4000.00	3600.00	3200.00	2800.00	2400.00	2000.00	1600.00	1200.00	800.00	400.00
6	तीन (1) (ख)	6800.00	6240.00	5680.00	5120.00	4560.00	4000.00	3440.00	2880.00	2320.00	1760.00	1200.00	640.00
7	तीन (1) (ग)	9400.00	8620.00	7840.00	7060.00	6280.00	5500.00	4720.00	3940.00	3160.00	2380.00	1600.00	820.00
8	तीन (1) (घ)	11000.00	10090.00	9180.00	8270.00	7360.00	6450.00	5540.00	4630.00	3720.00	2810.00	1900.00	990.00
9	तीन (1) (ङ)	11000.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए 4400.00	10090.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए 4040.00	9180.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए 3680.00	8270.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए 3320.00	7360.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए 2960.00	6450.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए 2600.00	5540.00 और 5000 किलो ग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए 2240.00	4630.00 और 5000 किलो ग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए 1880.00	3720.00 और 5000 किलो ग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए 1520.00	2810.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए 1160.00	1900.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए 800.00	990.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए 440.00
10	तीन (2)	1000.00	920.00	840.00	760.00	680.00	600.00	520.00	440.00	360.00	280.00	200.00	120.00

प्रतिबन्ध यह है कि निम्नलिखित वर्गों के स्वामियों के सिवाय मोटर गाड़ियों के समस्त स्वामियों के संबंध में कर की दर इस भाग के अनुच्छेद एक, दो और तीन के सामने विनिर्दिष्ट दरों की दुगुनी होगी, अर्थात्—

(क) एकल व्यक्ति ;

(ख) नगरपालिका बोर्ड, नगर महापालिका, जिला परिषद्, नोटीफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी या क्षेत्र समिति ;

(ग) किसी विधि के द्वारा या अधीन स्थापित विश्वविद्यालय ;

(घ) कोई मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था ;

(ङ) कोई सार्वजनिक पूर्तविन्यास ;

(च) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट लोक प्रयोजनों के लिये मोटर गाड़ियों का प्रयोग करने वाले किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति ।

भाग "ग"

[धारा 7 (2) देखिये]

जहां गाड़ी प्रयोग में न हो, वहां कर की वापसी की दरें :—

क्रम संख्या	भाग "क" के अनुच्छेद के अनुसार गाड़ियां	मोटर गाड़ी के प्रयोग न किये जाने के प्रत्येक मास के लिये वापस की जाने वाली धनराशि (रुपये में)
1	2	3
1	एक (1)	2.00
2	एक (2)	3.00
3	दो (1)	10.00
4	दो (2)	2.00
5	तीन (1) (क)	20.00
6	तीन (1) (ख)	28.00
7	तीन (1) (ग)	39.00
8	तीन (1) (घ)	46.00
9	तीन (1) (ङ)	46.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये 18.00
10	तीन (2)	4.00

प्रतिबन्ध यह है कि भाग "ख" के प्रतिबन्धात्मक खंड के खंड (क) से (च) के अधीन उल्लिखित गाड़ियों के सिवाय गाड़ियों के समस्त स्वामियों के संबंध में वापसी की दरें ऊपर विनिर्दिष्ट दरों की दुगुनी होगी ।

भाग "घ"

[धारा 7 (3) देखिये]

वापसी की दर

वापस की जाने वाली धनराशि (रुपयों में), यदि गाड़ी के मूल रजिस्ट्रीकरण के मास से गाड़ी की आयु इस प्रकार हो :—

क्रम-संख्या	भाग "क" के अनुच्छेद के अनुसार गाड़ियां	एक वर्ष से अनधिक	एक वर्ष से अधिक किन्तु दो वर्ष से अनधिक	दो वर्ष से अधिक किन्तु तीन वर्ष से अनधिक	तीन वर्ष से अधिक किन्तु चार वर्ष से अनधिक	चार वर्ष से अधिक किन्तु पांच वर्ष से अनधिक	पांच वर्ष से अधिक किन्तु छः वर्ष से अनधिक	छः वर्ष से अधिक किन्तु सात वर्ष से अनधिक	सात वर्ष से अधिक किन्तु आठ वर्ष से अनधिक	आठ वर्ष से अधिक किन्तु नौ वर्ष से अनधिक	नौ वर्ष से अधिक किन्तु दस वर्ष से अनधिक	दस वर्ष से अधिक किन्तु ग्यारह वर्ष से अनधिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	एक (1)	210.00	140.00	70.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	एक (2)	600.00	525.00	450.00	375.00	300.00	225.00	150.00	75.00	शून्य	शून्य	शून्य
3	दो (1)	2090.00	1885.00	1680.00	1475.00	1270.00	1065.00	860.00	655.00	450.00	245.00	शून्य
4	दो (2)	420.00	380.00	340.00	300.00	260.00	220.00	180.00	140.00	100.00	60.00	शून्य
5	तीन (1) (क)	4000.00	3600.00	3200.00	2800.00	2400.00	2000.00	1600.00	1200.00	800.00	400.00	शून्य
6	तीन (1) (ख)	5680.00	5120.00	4560.00	4000.00	3440.00	2880.00	2320.00	1760.00	1200.00	640.00	शून्य
7	तीन (1) (ग)	7840.00	7060.00	6280.00	5500.00	4720.00	3940.00	3160.00	2380.00	1600.00	820.00	शून्य
8	तीन (1) (घ)	9180.00	8270.00	7360.00	6450.00	5540.00	4630.00	3720.00	2810.00	1900.00	990.00	शून्य
9	तीन (1) (ङ)	9180.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये 3680.00	8270.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये 3320.00	7360.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये 2960.00	6450.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये 2600.00	5540.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये 2240.00	4630.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये 1880.00	3720.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये 1520.00	2810.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये 1160.00	1900.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये 800.00	990.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये 440.00	शून्य
10	तीन (2)	840.00	760.00	680.00	600.00	520.00	440.00	360.00	280.00	200.00	120.00	शून्य

71

टिप्पणी:—निम्नलिखित के स्वामित्वाधीन गाड़ियों के सिवाय समस्त गाड़ियों के संबंध में वापसी की दरें ऊपर दर्शित धनराशि की दुगुनी होगी:—

(क) एकल व्यक्ति ;

(ख) नगरपालिका बोर्ड, नगर महापालिका, जिला परिषद्, नोटीफ़ाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी या क्षेत्र समिति ;

(ग) किसी विधि के द्वारा या अधीन स्थापित विश्वविद्यालय ;

(घ) कोई मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था ;

(ङ) कोई सार्वजनिक पूर्त विन्यास ;

(च) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट लोक प्रयोजनों के लिये मोटर गाड़ियों का प्रयोग करने वाले किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 1988 — निरसन और अपवाद

8—(1) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1988 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

आज्ञा से,
श्रीनाथ सहाय,
सचिव ।

No. 489 (2)/XVII-V-1—1(KA) 5-1988

Dated Lucknow, April 4, 1988

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Motor Gadi Karadhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 1988 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 10 of 1988) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 4, 1988.

THE UTTAR PRADESH MOTOR VEHICLES TAXATION (AMENDMENT) ACT, 1988

[U. P. Act No. ~~15 of 1987~~ 10/88]

(As passed by the U. P. Legislature)

AN
ACT

further to amend the United Provinces Motor Vehicles Taxation Act, 1935

It is hereby enacted in the Thirty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 1988.

(2) It shall be deemed to have come into force on February 5, 1988.

72

Amendment of section 4 of U.P. Act no. V of 1935

2. In section 4 of the United Provinces Motor Vehicles Taxation Act, 1935 hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1), the following proviso shall be *inserted*, namely:

"Provided that the owner of a motor vehicle other than a transport vehicle, in case such motor vehicle is registered for the first time under the provisions of the Motor Vehicles Act, 1939 in Uttar Pradesh after the commencement of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 1988 shall, and in any other case may, in lieu of the tax payable under this sub-section pay a one-time tax at the rate applicable in respect of such motor vehicle, as specified in 'Part B' of the Third Schedule and on payment of such one-time tax no tax under this sub-section for any period thereafter shall have to be paid in respect of such vehicle."

Amendment of section 5

3. In section 5 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1) *for* the words "Subject to the provisions of sections 6, 8 and 9 the tax payable under section 4 shall be payable in advance on or before the fifteenth day of January in each year by the owner of a motor vehicle", the words "Subject to the provisions of section 6, the tax payable under section 4 shall be payable in advance by the owner of a motor vehicle at the time of its registration under the Motor Vehicles Act, 1939 and thereafter on or before the fifteenth day of January in each subsequent year", and

(*b*) *for* sub-section (2), the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(2) Where the tax in respect of a motor vehicle is not paid within the period specified in sub-section (1), an officer empowered by the State Government in this behalf may, in lieu of prosecution under section 13 and subject to such general directions, as may be issued by the State Government from time to time, accept from the owner of such motor vehicle compensation, in the case of payment of one-time tax, an amount not exceeding one-half of the amount of such tax payable under this Act, and in any other case, an amount not exceeding the amount of tax payable in a year in respect of the motor vehicle in addition to the tax due therefor, on payment of such compensation, the owner of the motor vehicle, if in custody, shall be discharged and no further proceedings shall be taken against him in respect of the offence so compounded."

Amendment of section 6

4. In section 6 of the principal Act, *after* the words "a calendar year" the words "and where one-time-tax has not been paid" shall be *inserted*,

Amendment of section 7

5. The existing section 7 of the principal Act shall be renumbered as sub-section (1) thereof, and—

(*a*) in sub-section (1) as so-renumbered, *after* the words "the tax or instalment of tax" the words "other than the one-time tax" shall be *inserted* ;

(*b*) *after* sub-section (1) as so re-numbered, the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(2) Where the owner of a motor vehicle other than a transport vehicle, in respect of which one-time tax has been paid under the Act, proves to the satisfaction of the Taxation Officer in the prescribed manner that such motor vehicle has not been used for a continuous period of not less than one month, he shall be entitled in a refund of such tax at the rate specified in 'Part C' of the Third Schedule for the said period :

Provided that no such refund shall be admissible, unless the registration certificate and the token issued in respect of the vehicle are deposited by the owner with the Taxation Officer :

Provided further that the total amount of refund under this sub-section shall not be more than the one-time tax paid under the Act.

(3) In calculating the amount of refund under sub-section (2) any portion of the said period being less than a month, shall be ignored.

(4) The owner of a motor vehicle other than a trapnsport vehicle in respect of which one-time tax has been paid under the Act shall be entitled to refund of such tax at the rates specified in 'Part D' of the Third Schedule on the ground that he has, after payment of such tax paid tax in respect of such vehicle under any enactment, relating to a

tax on motor vehicles in any other State or Union Territory as a consequence of such vehicle having been brought over permanently to such State or Union Territory or that such motor vehicle has been converted into a transport vehicle or that the registration of such motor vehicle has been cancelled.

(5) Where the owner of a motor vehicle other than a transport vehicle which has been registered under the Motor Vehicles Act, 1939 before the commencement of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 1988 opts to pay one-time tax he shall while making payment of one-time tax be entitled to adjustment of any advance tax paid by him in respect of such vehicle for any part of the year 1988 or of any subsequent year, provided he pays such one-time tax within two months from the commencement of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 1988."

Amendment of section 11

6. The existing section 11 of the principal Act shall be re-numbered as sub-section (1) thereof and *after* sub-section (1) as so re-numbered the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(2) Where any motor vehicle other than a transport vehicle in respect of which one-time tax has been paid is operated as a transport vehicle the owner thereof shall be liable to pay the tax payable under the Act on such transport vehicle."

Insertion of new Schedule

7. After the Second Schedule to the principal Act the following Schedule shall be *inserted*, namely :

"THE THIRD SCHEDULE

PART 'A'

Vehicles

Classification of vehicles other than transport vehicles

Article	Description of vehicle
I	Motor cycles (including scooters and mopeds) not exceeding 500 kilograms in weight, unladen :—
	(1) Vehicles not exceeding 80 kilograms in weight, unladen ;
	(2) Vehicles exceeding 80 kilograms in weight, unladen ;
II	(1) Vehicles constructed and used solely for the conveyance of persons and light personal luggage with seating accommodation for not more than six persons exclusive of the driver ;
	(2) Trailors drawn by vehicles covered by this Article.
III	Vehicles including motor cycles weighing more than 500 kilograms in weight, unladen, constructed or adapted for use for the conveyance of more than six persons (exclusive of driver) :—
	(1) (*a*) not exceeding 2,000 kilograms in weight, unladen ;
	(*b*) exceeding 2,000 kilograms but not exceeding 3,000 kilograms in weight, unladen ;
	(*c*) exceeding 3,000 kilograms but not exceeding 4,000 kilograms in weight, unladen ;
	(*d*) exceeding 4,000 kilograms but not exceeding 5,000 kilograms in weight, unladen ;
	(*e*) exceeding 5,000 kilograms in weight, unladen ;
	(2) Trailors drawn by vehicles covered by this Article..

PART 'B'

[*See* section 4(1)]

Rates of tax on vehicles other than transport vehicles

Serial no.	Vehicles according to the Articles of Part 'A'	Rate of tax in Rupees											
		Registered on or after 1-1-88	Registered in the year 1987	Registered in the year 1986	Registered in the year 1985	Registered in the year 1984	Registered in the year 1983	Registered in the year 1982	Registered in the year 1981	Registered in the year 1980	Registered in the year 1979	Registered in the year 1978	Registered in the year 1977 or prior there to
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	I (1)	350.00	280.00	210.00	140.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
2	I (2)	750.00	675.00	600.00	525.00	450.00	375.00	300.00	225.00	150.00	75.00	75.00	75.00
3	II (1)	2500.00	2295.00	2090.00	1885.00	1680.00	1475.00	1270.00	1065.00	860.00	655.00	450.00	245.00
4	II (2)	500.00	460.00	420.00	380.00	340.00	300.00	260.00	220.00	180.00	140.00	100.00	60.00
5	III (1) (*a*)	4800.00	4400.00	4000.00	3600.00	3200.00	2800.00	2400.00	2000.00	1600.00	1200.00	800.00	400.00
6	III (1) (*b*)	6800.00	6240.00	5680.00	5120.00	4560.00	4000.00	3440.00	2880.00	2320.00	1760.00	1200.00	640.00
7	III (1) (*c*)	9400.00	8620.00	7840.00	7060.00	6280.00	5500.00	4720.00	3940.00	3160.00	2380.00	1600.00	820.00
8	III (1) (*d*)	11000.00	10090.00	9180.00	8270.00	7360.00	6450.00	5540.00	4630.00	3720.00	2810.00	1900.00	990.00
9	III (1) (*e*)	11000.00 plus 4400.00 for every 1000 kilograms or part thereof in excess of 5000 kilograms	10090.00 plus 4040.00 for every 1000 kilograms or part thereof in excess of 5000 kilograms	9180.00 plus 3680.00 for every 1000 kilograms or part thereof in excess of 5000 kilograms	8270.00 plus 3320.00 for every 1000 kilograms or part thereof in excess of 5000 kilograms	7360.00 plus 2960.00 for every 1000 kilograms or part thereof in excess of 5000 kilograms	6450.00 plus 2600.00 for every 1000 kilograms or part thereof in excess of 5000 kilograms	5540.00 plus 2240.00 for every 1000 kilograms or part thereof in excess of 5000 kilograms	4630.00 plus 1880.00 for every 1000 kilograms or part thereof in excess of 5000 kilograms	3720.00 plus 1520.00 for every 1000 kilograms or part thereof in excess of 5000 kilograms	2810.00 plus 1160.00 for every 1000 kilograms or part thereof in excess of 5000 kilograms	1900.00 plus 800.00 for every 1000 kilograms or part thereof in excess of 5000 kilograms	990.00 plus 440.00 for every 1000 kilograms or part thereof in excess of 5000 kilograms

10	III (2)	1000.00	920.00	840.00	760.00	680.00	600.00	520.00	440.00	360.00	280.00	200.00	120.00

Provided that the rate of tax in respect of all owners of motor vehicles shall be double of the rates specified against Articles I, II and III of this Part except in respect of the following classes of owners, namely :—

(*a*) an individual ;

(*b*) a Municipal Board, Nagar Mahapalika, Zila Parishad, Notified Area Committee, Town Area Committee or Kshetra Samiti

(*c*) University established by or under any law ;

(*d*) any recognised educational institution ;

(*e*) any public charitable trust ;

(*f*) any other class of persons using motor vehicles for public purposes specified by the State Government in this behalf by notifications.

PART 'C'

[*See* section 7(2)]

Rates of refund of tax where vehicle is not in use

Serial no.	Vehicles according to the Articles of Part-A	Amount to be refunded for each month of non-use of the motor vehicle (in rupees)
1	2	3
1	I (1)	2.00
2	I (2)	3.00
3	II (1)	10.00
4	II (2)	2.00
5	III (1) (*a*)	20.00
6	III (1) (*b*)	28.00
7	III (1) (*c*)	39.00
8	III (1) (*d*)	46.00
9	III (1) (*e*)	46.00 plus 18.00 for every 1,000 kilograms or part thereof in excess of 5,000 kilograms.
10	III (2)	4.00

Provided that the rates of refund in respect of all owners of vehicles except those given under clauses (*a*) to (*f*) of the proviso to PART 'B' shall be double of the rates specified above.

PART 'D'

[*See section* 7(3)]

Rates of Refund

Serial no.	Vehicles according to the Articles of part 'A'	Amount to be refunded (in rupees) in case the age of the vehicles from the month of its original registration is— Not more than one year	More than one year but not more than two years	More than two years but not more than three years	More than three years but not more than four years	More than four years but not more than five years	More than five years but not more than six years	More than six years but not more than seven years	More than seven years but not more than eight years	More than eighth years but not more than nine years	More than nine years but not more than ten years	Mor than ten years but not more than eleven years
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I (1) ..	210.00	140.00	70.00	Nil.	Nil.	Nil.	Nil	Nil.	Nil.	Nil.	Nil.
2	I (2) ..	600.00	525.00	450.00	375.00	300.00	225.00	150.00	75.00	Nil.	Nil.	Nil.
3	II (1) ..	2090.00	1885.00	1680.00	1475.00	1270.00	1065.00	860.00	655.00	450.00	245.00	Nil.
4	II (2) ..	420.00	380.00	340.00	300.00	260.00	220.00	180.00	140.00	100.00	60.00	Nil.
5	III (1) (*a*) ..	4000.00	3600.00	3200.00	2800.00	2400.00	2000.00	1600.00	1200.00	800.00	400.00	Nil.
6	III (1) (*b*) ..	5680.00	5120.00	4560.00	4000.00	3440.00	2880.00	2320.00	1760.00	1200.00	640.00	Nil.
7	III (1) (*c*) ..	7840.00	7060.00	6280.00	5500.00	4720.00	3940.00	3160.00	2380.00	1600.00	820.00	Nil.
8	III (1) (*d*) ..	9180.00	8270.00	7360.00	6450.00	5540.00	4630.00	3720.00	2810.00	1900.00	990.00	Nil.
9	III (1) (*e*) ..	9180.00 plus 3680.00 for every 1000 kilograms or part thereof in excess of 5000 kilograms	8270.00 plus 3320,00 for every 1000 kilograms or part thereof in excess of 5000 kilograms	7360.00 plus 2960.00 for every 1000 kilograms or part thereof in excess of 5000 kilograms	6450.00 plus 2600.00 for every 1000 kilograms or part thereof in excess of 5000 kilograms	5540.00 plus 2240.00 for every 1000 kilograms or part thereof in excess of 5000 kilograms	4630.00 plus 1880.00 for every 1000 kilograms or part thereof in excess of 5000 kilograms	3720.00 plus 1520.00 for every 1000 kilograms or part thereof in excess of 5000 kilograms	2810.00 plus 1160.00 for every 1000 kilograms or part thereof in excess of 5000 kilograms	1900.00 plus 800.00 for every 1000 kilograms or part thereof in excess of 5000 kilograms	990.00 plus 440.00 for every 1000 kilograms or part thereof in excess of 5000 kilograms	Nil.
10	III (2) ..	840.00	760.00	680.00	600.00	520.00	440.00	360.00	280.00	200.00	120.00	Nil.

NOTE : The rates of refund will be double of the amounts shown above in respect of all vehicles except those owned by—

(*a*) an individual ;

(*b*) a Municipal Board, Nagar Mahapalika, Zila Parishad, Notified Area Committee, Town Area Committee or Kshetra Samiti ;

(*c*) a University established by or under any law ;

(*d*) any recognised educational institution ;

(*e*) any public charitable trust ;

(*f*) any other class of persons using motor vehicles for public purposes specified by the State Government in this behalf by notification.

U.P. Ordinance no. 4 of 1988

8. (1) The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Ordinance, 1988, is hereby repealed. Repeal and Saving

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the prncipal Act as amended by the Ordinance, referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
S. N. SAHAY,
Sachiv.

पी0एस0यू0पी0--ए0पी0 6 सा0 विधा0-(21)--1988--850 (मैक0)।